संख्या-4/2017/612-57-2024-532/2023

प्रेषक,

रघुवीर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग निदेशालय,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय:- श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में काशी करवट मंदिर के पास जी+3 भवन के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी के पत्र संख्या-1032(I)/श्रीक0वि0वि0क्षे0वि0प0/1-2/मु0का0अ0-2024, दिनांक-20.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में काशी करवट मंदिर के पास जी+3 भवन के निर्माण कार्य हेतु आरंभिक आगणन रू0 597.02 लाख तैयार कर उपलब्ध कराते हुये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में काशी करवट मंदिर के पास जी+3 भवन के निर्माण कार्य हेतु पी.एफ.ए.डी. द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 518.16 लाख की प्रशासकीय एव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में नियमानुसार लागत की 15 प्रतिशत धनराशि रू0 78.00 लाख धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च , 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0 एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, धर्मार्थ कार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो तथा इसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य किया जाये।

(5) प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का है।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्थाए द्वारा सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) परियोजना की लागत का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) वित्त(आय-व्यायक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 78,00,000 (रुपये अठहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084, लेखा शीर्षक-4250008000700 वाराणसी में गंगानदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण /सुन्दरीकरण मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-5-289-X-2023-24,** दिनांक- 15 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-4/2017/612-57-2024-532/2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. आयुक्त/निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
6. वित्त नियंत्रक, वाराणसी मण्डल कार्यालय, वाराणसी।
7. सामान्य प्रशासन अनुभाग/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in